78 25 गौण कम्पनियों के मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/कार्यात्मक निदेशकों के पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपना

अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 26(3)ईओ/2004(एसीसी), दिनांक 17.08.2005 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ जिसके तहत बोर्ड स्तरीय नियुक्यिों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संदर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किया गया था और जिन्हें इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27 सितम्बर, 2005 के माध्यम से दोहराया गया।

2. मंत्रीमंडल की नियुक्ति समिति ने आगे यह निर्देश दिया कि इस संदर्भ में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का पालन करें।

"केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तीन माह की अवधि के लिए अतिरिक्त प्रभार के अनुमोदन का अधिकार प्रभारी मंत्री को और इसके बाद की तीन माह की अवधि के लिए राज्य मंत्री (पीपी) को इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 26(3)ईओ/2004(एसीसी) दिनांक 17.08.2005 के माध्यम से अधिकार दिया गया बशर्ते व्यक्ति सतर्कता की दृष्टि से मुक्त होना चाहिए। छः माह से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त प्रभार के अनुमोदन का अधिकार मंत्रीमंडल की नियुक्ति समिति के पास होगा।"

मंत्रीमंडल की नियुक्ति समिति ने यह भी अनुमोदन किया कि सब्सिडेरी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशक/मुख्य प्रबंध निदेशक पदों का अतिरिक्त प्रभार सतर्कता दृष्टिकोण से मुक्त उसी कम्पनी के वरिष्ठतम कार्यात्मक निदेशक को सौंपा जाना चाहिए। यदि सब्सिडेरी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में इस प्रकार के कार्यात्मक निदेशक मौजूद नहीं हैं तो प्रबंध निदेशक/मुख्य प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार होल्डिंग कम्पनी के मुख्य प्रबंध निदेशक/कार्यात्मक निदेशक जो सब्सिडेरी कम्पनी के बोर्ड में नामित निदेशक है, को स्वतः ही सौंपा जाए। परन्तु इस अतिरिक्त प्रभार के परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 316 का उल्लंघन न हो''।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा–निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन हेतु नोट करें। इस कार्यालय ज्ञापन की पावती देने की कृपा करें।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 18(23)/2005–जीएम दिनांक 16 अप्रैल, 2009)

***